न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

Case No.-86/2017

पत्रक–ता0.................................से...

खगड़िया..................................,सा0...,सन्.................................

का प्रकार–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट के संबंध में।

की क्रम तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
.10.2017	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत मुफस्सिल थाना में दर्ज कांड संख्या–484/2017 दिनांक 15.07.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2530/हि0शा0 दिनांक 09.08.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मुफस्सिल का प्रतिवेदनं के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई विदेशी शराब की कुल मात्रा 375 एम0एल0 का 48 (अरतालिस) बोतल विदेशी शराब मे से 03(पाँच) बोतल विदेशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को भेज दिया गया है जबकि शेष 45 (पैतालिस) बोतल विदेशी शराब मुफ्फसिल थाने के मालखाना में रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुफ्फसिल थाने के मालखाना में रखी गई 45 (पैतालिस) बोतल विदेशी शराब को विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रकियों का पालन करते हुए मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 484/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल 45 (पैतालिस) बोतल (16.875 ली0) विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्सबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मुफ्फसिल /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

की क्रम तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	बी0 बी न0.....550...../विधि दिनांक.....18/8/2017..... प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मुफस्सिल / अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनपालनार्थ प्रेषित। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि, खगड़िया. 17/8/17	